3946 3846

Government of Jharkhand

Receipt of Online Payment of Stamp Duty

NON JUDICIAL

Receipt Number : 079526f9cbe5a4f5888c
Receipt Date : 29-Jun-2022 11:39:23 am
Receipt Amount : 41040/-
Amount In Words : Forty One Thousands Forty Rupees Only
Token Number : 20220000078270
Office Name : SRO - Palamu
Document Type : Sale Deed
Payee Name : MAHENDRA MAHTO (Vendee)
GRN Number : 2211908804

-: For Office Use :-

महेन्द्र महतो

29/6/2022

इस रसीद का उपयोग केवल एक ही दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु ही किया जा सकता है। पुनः प्रिन्ट कर अथवा फोटो कॉपी आदि द्वारा इसी रसीद का दुसरे दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु उपयोग भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा 62 अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

नि. 10,260/-   41040/-

अभिप्रमाणित
हता दस्तावेज लिपिक
मेदिनी

Online Fee Paid
GRN No 2211908688

भूमि से प्लॉट
1585 मुक्त है।

A (1) ....30780=00
L. L. R. ....3=00
P. Fee ....1=00

30784=00

1. लेख्यकारी का नाम एवं पूरा पताः– 29/6/2022

प्रभावती देवी पति का नाम स्व0 अवध बिहारी तिवारी सामान्य जाति (CNT ACT 1908 के अंतर्गत आच्छादित नहीं हैं) निवास स्थान ग्राम रांची रोड रेड़मा पो0 चियांकी थाना मेदिनीनगर,जिला पलामू,पेशा गृहिणी नागरिकता भारतीय के प्रतिनिधि श्री संजीवकुमार तिवारी पिता का नाम स्व0 कामेश्वर तिवारी सामान्य जाति (CNT ACT 1908 के अंतर्गत आच्छादित नहीं हैं) निवास स्थान ग्राम रांची रोड रेड़मा पो0 चियांकी थाना मेदिनीनगर, जिला पलामू,झारखण्ड, पेशा व्यवसाय नागरिकता भारतीय के प्रतिनिधि पत्र संख्या 126 बुक नं IV वोल्यूम नं0 12 पेज नं0 429 से 468 तक है, जो दिनांक 11.10.2021 ई0 को जिला अवर निबंधन कार्यालय मेदिनीनगर में निबंधित हुआ है। प्रतिनीधी पत्र रद्द नहीं किया गया है एवं पावर कर्ता जिवीत हैं। PAN-

शपथ पत्र सं0–2416   दिनांक 29.6.22

2. **लेख्यधारी का नाम एवं पूरा पताः–**

श्री महेन्द्र महतो पिता का नाम स्व0 रघुबीर महतो, पिछड़ी जाति वर्ग II (CNT ACT 1908 के अंतर्गत आच्छादित नहीं हैं) निवास ग्राम गड़ेरियाडीह टोला बनखेता पोस्ट बैदाकला, थाना पंडवा, जिला पलामू, झारखण्ड, पेशा नौकरी, नागरिकता भारतीय। PAN-AKIPM7808C

शपथ पत्र सं0– 24/7 दिनांक 29.6.22

3. **लेख्यप्रकारः–** बिक्रय पत्र (Sale Deed)

4. **(क)सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यः–** मुबलीग 10,26,000/–(दस लाख छब्बीस हजार) रुपये मात्र ।

5. **(ख) देय मूल्यः–** मुबलीग 10,26,000/–(दस लाख छब्बीस हजार) रुपये मात्र ।

5. **सम्पतिः–** 04 (चार) डी0 जमीन अन्दर ग्राम रेड़मा, अंचल मेदिनीनगर, जिला पलामू। इलाके निबंधन कार्यालय जिला अवर निबंधन कार्यालय मेदिनीनगर, जिला पलामू। हकियत प्रमुख को उत्तराधिकार में हक हासिल है। दस्तावेज के साथ बिक्री भ–ूखण्ड का नक्शा संलग्न है, जो इस दस्तावेज का अभिन्न अंग वो अंश है।

भूमि का विवरणः–

थाना नं0	तौजी नं0	खेवट नं0	हल्का नं0	मौजा
188	51	01	03	रेड़मा

खाता नं0	प्लौट नं0	रकबा	चौहदी
252 (दो सौ बावन)	1585 (एक हजार पांच सौ पचासी	04 (चार) डी0	**उ0–** वर्तमान क्रेता किरण देवी **द0–** बिक्रेता निज **पू0–** पूर्व से बारह फीट चौड़ा रास्ता **प0–** अखिलेश शुक्ला

बिक्री भू—खण्ड का मापः—

उतर से दक्षिण पूरब एवं पश्चिम दोनों तरफ 32 फीट 8 ईंच

पुरब से पश्चिम उतर एवं दक्षिण दोनों तरफ 40 फीट

सलाना मालः— अनुमानित 5 रू0 अलावे सेस।

लगान पाने वाला— झारखंड सरकार द्वारा अंचल अधिकारी मेदिनीनगर, जिला पलामू।

विदित हो क़ि उपरोक्त कंडिका पांच में वर्णित जमीन प्रमुख लेख्यकारी को उत्तराधिकार में हक प्राप्त है । डिमाण्ड कम्प्युटरीकृत पंजी II के भाग वर्तमान 12 पृष्ठ सं0 72 पर चलता है। इस सम्पति में प्रमुख बिक्रेता के अतिरिक्त किसी भी अन्य व्यक्ति का हक, हिस्सा अथवा दखल—कब्जा नहीं है और न ही इस पर किसी भी प्रकार का ऋणभार अथवा वारदैन किया गया है और ना ही इसमें किसी भी प्रकार का विवाद ही है। संक्षेप में यह सम्पति हकियत के सभी दोषों तथा ऋणभार से पूर्णतः मुक्त है।

यह कि प्रमुख लेख्यकारी उक्त सम्पति को देख—रेख बिक्री आदि करने के लिए इस दस्तावेज के लेख्यकारी श्री संजीव कुमार तिवारी को अपना प्रतिनिधी नियुक्त किये, इस नाते इस दस्तावेज को श्री संजीव कुमार तिवारी निष्पादित कर रहे हैं।

चुंकि प्रमुख लेख्यकारी को अपने विविध आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रूपये की आवश्यकता आ पड़ी है जिसका प्रबन्ध अपने पास से या अन्यत्र से कर पाना सम्भव प्रतीत नहीं हुआ है। अतएव इस संबंध में बिक्रेता परिवार के अन्य सभी सदस्यों के साथ अच्छी तरह से विचार—विमर्श किये और सर्व सम्मति से यह निश्चय किया कि उपरोक्त सम्पति को बिक्री कर दिया जाए और आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए। अतः उपरोक्त सम्पति का बिक्री का प्रचार कराये। परिणाम स्वरूप कई सम्भावित खरीददार आए और सबों ने इसका अलग—अलग मूल्यांकन भी किये, परन्तु अन्त में लेख्यधारी ने भी अपने परिवार के अन्य सदस्यों के

साथ आकर इसका भलि–भांति निरीक्षण किए तथा इसके सभी सुविधाओं को देखते हुए आज के बाजार भाव के अनुसार उचित तथा अधिकतम देय मूल्य निर्धारित किए तथा इसी निर्धारित मूल्य में इसे स्वयं ही खरीदना भी स्वीकार किए। लेख्यकारी भी इस मूल्यांकन के प्रत्येक बिन्दु को उचित तथा अधिकतम मूल्य देखकर सौदे को क्रेता के साथ पक्का कर लिये।

देय मूल्य की पूरी रकम मुबलीग 10,26,000/–(दस लाख छब्बीस हजार) रूपये मात्र में से मो0 5,00,000/–(पांच लाख) रूपये मात्र भारतीय स्टेट बैंक पंडवा शाखा का चेक नं0– 130912 के द्वारा एवं इसी शाखा का दूसरा चेंक नं0 130913 के द्वारा मो0 5,26,000/–(पांच लाख छब्बीस हजार) रूपये मात्र लेख्यधारी ने लेख्यकारी को भुगतान कर दिये हैं। देय मूल्य की रकम में से अब लेख्यकारी को लेख्यधारी से कुछ भी पाना शेष नहीं रह गया है। इसलिए वर्णित सम्पति पर से अपना सम्पूर्ण स्वामित्व, अधिकार तथा दखल–कब्जा क्रेता को सौंप दिये। इस प्रकार से सम्पति के सम्बन्ध में लेख्यकारी का आज तक जो भी हक, अधिकार तथा सुविधाएं प्राप्त थे, अथवा भविष्य में इनके उतराधिकारियों को प्राप्त होते वे सब अब ज्यों के त्यों क्रेता (लेख्यधारी) को हासील हुए। अब लेख्यधारी को अधिकार प्राप्त हुआ कि इसका अपनी इच्छानुसार उपयोग तथा उपभोग करके लाभ उठावें। इसमें मकान बनवा कर निवास करें, अथवा जैसा उचित समझे इसका इस्तेमाल करें। इससे अब लेख्यकारी को या इनके परिवार के किसी भी अन्य उत्तराधिकारीयों अथवा स्थानापन्न को कुछ भी सम्बन्ध या सरोकार नहीं रहा और ना ही भविष्य में कभी भी रहेगा। अब लेख्यधारी को चाहिए कि इस सम्पति के सम्बन्ध में झारखंड सरकार के सिरिस्ते में अंचल कार्यालय द्वारा अपने नाम का दाखिल–खारीज करा लें तथा सालाना माल देकर इसके लगान की रसीद को स्वयं अपने नाम से प्राप्त किया करें।

इस दस्तावेज में वर्णित सम्पति सरकारी भूमि वन विभाग की भूमि, किसी भी धार्मिक संस्था की भूमि, भूदान से प्राप्त भूमि नहीं है तथा किसी

भी न्यायालय से प्रतिबंधित भूमि नहीं है, इसके प्रमाणस्वरुप अंचल कार्यालय मेदिनीनगर जिला पलामू से भूमी माँग धारण प्रमाण–पत्र निर्गत किया गया है। जिसका पत्रांक 188 दिनांक 30.07.2021 है। उक्त सम्पति हस्तांतरण से छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम के संगत प्रावधानों का उल्लंघन नहीं हो रहा है, तथा विवाद रहित एवं अधिभार मुक्त है।

यह कि अब उक्त भू–सम्पति से लेख्यकारी दर गुजरे व बाज आये इस लिये लेख्यकारी अपने शरीर तथा मन की पूर्ण स्वस्थ्यता में अपनी इच्छा तथा प्रसन्नता से इस बिक्रय पत्र (केवाला बय–ला कलामी) को क्रेता के पक्ष में तैयार करा कर तथा पढ़वा कर सून–समझ लिये, और सही पाक़र कर निष्पादित कर दिये जो भू–सम्पति हस्तांतरण का स्थायी प्रमाण रहे और समय पर काम आवे।

Satyajeet kr.
टंकक:–

मैं (किस्मत मेहता) दस्तावेज नवीस ला0 नं0 111/03 स्थान मेदिनीनगर प्रमाणित करता हूँ कि इस दस्तावेज में जिन–जिन व्यक्तियों का छायाचित्र लगा है उनके बांये हाथ के सभी अंगुलियों का निशान मेरे समक्ष लिया गया है।

प्रारूपकर्ता:– (किस्मत मेहता) दस्तावेज नवीस ला0 नं0 111/03 स्थान मेदिनीनगर, दस्तावेज पढ़कर दोनों पक्षों को सुना व समझा दिया, बोले कि ठीक है।